

अध्याय 21

प्रकीर्ण

धारा 143 : जॉब कार्य की प्रक्रिया

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में “प्रधान” कहा गया है) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए और संसूचना के अधीन जॉब कार्य के लिए जॉब कर्मकार को बिना कर के संदाय के कोई इनपुट अथवा पूंजी माल भेज सकता है तथा वहां से पश्चात्पूर्ति किसी अन्य जॉब कर्मकार को भेज सकता है और वह,—

(क) जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी मालों को, कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान पर उन्हें भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा;

(ख) जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुटों या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी मालों की, यथास्थिति, कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना जॉब कर्मकार के कारबार के किसी स्थान पर उन्हें भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर पूर्ति करेगा :

परन्तु प्रधान, खंड (ख) के निबंधनों में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की पूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान निम्नलिखित दशा के सिवाय कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—

(i) जहां जॉब कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल की पूर्ति में लगा हुआ है जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

¹[परन्तु यह और कि पर्याप्त हेतु दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा।]

(2) इनपुट अथवा पूंजी लाभ के लिए समुचित लेखाओं को बनाए रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगा।

(3) जहां जॉब कार्य हेतु भेजे गए इनपुट उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा उन्हें बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट की जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे।

¹ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

- (4) जहां जॉब कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों और औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी मालों की जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे।
- (5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी जॉब कार्य के दौरान जनित कोई अपशिष्ट या स्क्रेप की, कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे जॉब कर्मकार के द्वारा पूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा जॉब कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा यदि जॉब कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो प्रधान द्वारा पूर्ति की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—जॉब कार्य के प्रयोजनों के लिए इनपुटों में, प्रधान या किसी जॉब कर्मकार द्वारा इनपुटों पर क्रियान्वित किसी उपचार या प्रक्रिया से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित हैं।
